संख्याः-02/2020/1325/नौ-5-2020-65सा/2020

प्रेषक,

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांक 08 अप्रैल, 2020**

विषयः कोविड-19 (नोवेल कोरोना वायरस) के सम्भावित संक्रमण के प्रभावी रोकथाम में नगरीय निकायों की भूमिका एवं दायित्व।

महोदय,

पूर्व निर्गत प्रमुख निर्देश

1. शासनादेश संख्या 409/नौ-7-2020, दि0 14.03.20
2. नि0दे0कैम्प/510/पीए/2020, दि0 18.03.20
3. शासनादेश संख्या 432/नौ-7/2020, दि0 19.03.20
4. शासनादेश संख्या 432(1)/नौ-7/2020, दि0 21.03.20
5. राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या 198/एक-11- 2020-रा-11, दि0 24.03.20
6. शासनादेश संख्या 700/नौ-9-2020-58ज/20, दि0 26.03.20
7. पीएमयू/3708/429(12)/2019-20, दि0 03.04.20

कृपया उपरोक्त विषयगत शासन स्तर से पूर्व निर्गत निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जोकि आप सबको उपरोक्त महामारी के संक्रमण को प्रभावी रूप से रोके जाने के विषयगत निकायों द्वारा किये जाने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों एवं दायित्वों के संबंध में **राज्य सरकार व भारत सरकार** द्वारा सतत रूप से जारी किये गये हैं।

जैसा कि आप सभी अवगत है कि अभी तक के अनुभवों से यह स्पष्ट रहा है कि उक्त महामारी के संक्रमण को रोके जाने में सर्वाधिक कारगर उपाय **"सामाजिक दूरी"** के रूप में सर्वमान्य हुआ है। परन्तु नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व के अधिक होने और विशेष कर शहरों में सधन बस्तियां होने के कारण उपरोक्त उपाय (सामाजिक दूरी) को कारगर रूप से बनाये रखने हेतु विशेष जागरूकता एवं सावधानी की आवश्यकता है। साथ ही साथ शहरों में दैनिक कामगारों की सामाजिक सुरक्षा एवं अल्प विकसित क्षेत्रों में जन सामान्य के सधन रूप से निवासरत होने के दृष्टिगत उपरोक्त हेतु भी विशेष प्रयास किया जाना आवश्यक है। उक्त महामारी का सम्भावी संक्रमण अभी पूरी तरह से नियंत्रित नही हुआ है और उक्त संक्रमण की रोकथाम हेतु तात्कालिक एवं दीर्धकालिक रूप से कार्य सुनिश्चित किया जाना अपरिहार्य है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यथा आवश्यक कार्य किये जाने हेतु यद्यपि उपरिवर्णित पूर्व निर्गत निर्देशों से अवगत कराया गया है जिनमें मुख्यतः निम्नक दायित्व वर्णित किये गये हैः-

1. कोविड-19 के संक्रमण से बचाव विषयगत विशेष प्रचार-प्रसार अभियान।
2. **Environmental Sanitation** (नियमित साफ-सफाई को विशेष रूप से सुनिश्चित करना)
3. स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था।
4. दवा का छिड़काव एवं सैनिटाइजेशन।
5. क्वारंटाइन किये गये परिसर/क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान एवं आवश्यकतानुसार क्षेत्रों को जिला प्रशासन/स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय कर विसंक्रमित करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्तागक्षर की आवश्य कता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यारपित की जा सकती है ।

6. नगरीय क्षेत्र में जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा/ फूड पैकेट उपलब्ध कराने हेतु सक्रिय रूप से कार्य करना एवं शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों की सामाजिक सुरक्षा/भरण पोषण के विषयगत जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर कार्यवाही करना।
7. दैनिक रूप से कार्य कर जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों के सहायतार्थ डी0बी0टी0 किये जाने के विषयगत सूची तैयार करना।

यद्यपि निकाय स्तर पर उपरिवर्णित विशेष कार्यों/दायित्वों को सुनिश्चित किया जा रहा है तथापि वर्तमान परिदृश्य में महामारी के संक्रमण को रोके जाने में निकायों की महती भूमिका के विषयगत संवैधानिक/वैधानिक रूप से निकायों को प्रदत्त अधिकार एवं उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों के संदर्भ में निम्न महत्वपूर्ण प्राविधानों की ओर भी आपका ध्यानाकर्षण किया जाना समीचीन प्रतीत होता है:-

❖ **<u>महामारी के संक्रमण को प्रभावी रूप से रोकने में नगरीय निकायों के विशेष दायित्व एवं कार्य</u>:-**

संवैधानिक व्यवस्था में केन्द्र एवं राज्य सरकार के साथ-साथ विकेन्द्रीयकरण की अवधारणा के अनुरूप नगरीय निकायों को त्रिस्तरीय प्रशासनिक ढांचे का महत्वपूर्ण अंग बनाया गया है एवं स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक कार्यों हेतु अनेक महत्वपूर्ण दायित्व निकायों को प्रदत्त किये गये है। संविधान की धारा 243 (ब) के अनुक्रम में बारहवीं अनुसूची के अनुसार निकायों को सौपे गये 18 दायित्वों में उपरोक्त अनुसूची के क्रमॉक 06 पर **<u>लोक स्वास्थ्य</u>** के दायित्व को वर्णित किया गया है।

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 के **अध्याय 8** में **"स्वच्छता और रोग का निवारण "** के विषयगत निकाय द्वारा किये जाने वाले कार्यों के संबंध में **अधिनियम की धारा 267 लगायत धारा 286 तक** विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है और **धारा 277, 279, 279(क) व 280** में संक्रामक/भयानक रोगों के रोके जाने में निकायों की भूमिका को स्पष्टतया वर्णित किया गया है। उपरोक्त के साथ ही उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 के **अध्याय 5 की धारा 114** में **"निगम के कर्तव्य और कार्य"** के विषयगत क्रमॉक (11) पर स्पष्ट रूप से **"संक्रामक, संसर्गजन्य तथा भयानक रोगों की रोकथाम करना और उसके प्रसार को नियंत्रित करना वर्णित है।"** साथ ही उक्त अधिनियम के **अध्याय 15** में जहां एक ओर **विस्तृत रूप से सफाई व्यवस्था एवं स्वच्छता के विषयगत कृत्यों** का उल्लेख किया गया है वहीं **धारा 406 से लगायत धारा 411** के अन्तर्गत **भयानक रोगों के निवारण और उनकी रोकथाम** के संबंध में विशेष रूप से उल्लिखित किया गया है।

उपरिवर्णित संवैधानिक/विधिक प्राविधानों से स्पष्ट है कि **<u>साफ सफाई, पेयजल, निर्बल वर्ग के हितों की सुरक्षा एवं नगरीय क्षेत्रों में कल्याण कारी कार्य किये जाने के नियमित दायित्वों के साथ-साथ "नगरीय क्षेत्र में महामारी के प्रभावी रोकथाम एवं लोक स्वास्थ्य "</u>** के विषयगत भी नगरीय निकायों की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है , एवं वर्तमान में उपरोक्त कोविड-19 महामारी के संक्रमण को प्रभावी रूप से रोकने हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा निर्गत अनुदेशों/निर्देशों के अनुपालन/ क्रियान्वयन के साथ ही साथ निकायों द्वारा स्वमेव सक्रिय रूप से अपने क्षेत्राधिकार में तदनुसार कार्य करने एवं दायित्वों के निर्वहन किये जाने के विषयगत संवैधानिक और विधिक जिम्मेदारी भी इस समय में और गुरूत्तर हो जाती है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि के क्रम में पूर्व से सतत रूप से किये जा रहे कार्यों को और प्रभावी बनाये जाने हेतु समस्त निकाय निम्नवत अग्रेतर कार्यवाही किये जाने हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करें:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ता क्षर की आवश्य कता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यारपित की जा सकती है ।

1. स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति को प्रभावी रूप से सक्रिय करना:-

शासनादेश संख्या 3483/नौ-5-2017-355सा/2014, दिनांक 04.09.2017 द्वारा प्रदेश के प्रत्येक नगरीय निकाय में वार्ड स्तर पर स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति के गठन हेतु निर्देश निर्गत किये गये थे एव उन्हें सक्रिय कर वार्ड स्तर पर स्वच्छता के मानकों को भली-भांति सुनिश्चित किये जाने के विषयगत विस्तृत रूप से समिति के गठन के उद्देश्य एवं कृत्यों में वर्णित किया गया है। जैसाकि उक्त शासनादेश में भी वर्णित किया गया है कि **"स्वच्छता का लोगों के स्वास्थ्य से गहरा नाता है। वातावरण को पूर्ण रूप से स्वच्छ एवं साफ रख चिकित्सा पर होने वाले व्यय को काफी हद तक कम किया जा सकता है।**

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपरोक्तानुसार स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समितियों द्वारा अपने गठन के उद्देश्य के अनुरूप कार्य करने के साथ-साथ कोविड-19 के संक्रमण को रोके जाने के विषयगत निकायों में किये जाने वाले कार्य हेतु तदनुसार उक्त समितियों के माध्यम से निकाय स्तर पर सेवा प्रदत्त करने के संस्थागत ढांचे का सुदृढ़ीकरण प्रभावी एवं कारगर बनाया जा सकता है और उपरोक्त स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समितियों द्वारा अपने गठन के उद्देश्य में वर्णित कार्यों को करने के साथ-साथ निम्न महत्वपूर्ण कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभाया जा सकता है:

1.1 जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार:-

- समिति के प्रत्येक सदस्य को बीमारी से बचाव एवं रोकथाम की सही एवं पूर्ण जानकारी रखना होगा ताकि जन सामान्य को इस बीमारी के बारे में सही जानकारी दी जा सके।
- बीमारी की रोकथाम में मदद हेतु जारी किये गये स्वास्थ्य सेवाओं , आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति , विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों तथा उपरोक्त विषयगत बनाये गये कन्ट्रोल रूम एवं जिले के नोडल अधिकारियों के नम्बर रखना।
- वार्ड स्तर पर इस बीमारी के बचाव एवं रोकथाम के लिये उचित माध्यमों का प्रयोग कर लोगों को जागरूक करने एवं बीमारी से जुड़ी सही जानकारी पहुँचाना एवं उपरोक्त विषयगत निर्गत निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने में सक्रिय सहयोग देना।
- शासन के आदेश , निर्देश की जानकारी को वार्ड/क्षेत्र में जन सामान्य में प्रसारित करने में सहयोग देना।

1.2 आवश्यक पाबन्दी लगवाने में सक्रिय भूमिका:-

- यह बीमारी ड्रापलेट से फैलती है, इसलिये वार्ड अन्तर्गत किसी भी प्रकार के ऐसे आयोजन अथवा गतिविधि जिसमें व्यक्तियों के समूह का एक स्थान पर एकत्रित होना सम्भावित हो , उसके विषयगत सतत रूप से सतर्क रहते हुए जानकारी करना एवं ऐसे किसी भी आयोजन अथवा कृत्य को हतोत्साहित करना और इस विषयगत जिला प्रशासन द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप वार्ड में निवासरत आम जन को भली-भांति भिज्ञ कराने के साथ-साथ यदि किसी अपरिहार्यता के कारण इस प्रकार की कोई गतिविधि रोका जाना सम्भव न हो तो उपरोक्त में शामिल होने वाले व्यक्तियों को **"सामाजिक दूरी (Social Distancing)"** के बिन्दु से अवगत कराते हुए निगम प्रशासन के साथ समन्वय कर अन्य सावधानिया जैसे कि साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था आदि के विषयगत समुचित रूप से प्रचार-प्रसार करते हुए जानकारी देना।
- वार्ड अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकले , खुले में शौच पूर्णतः प्रतिबन्धित रहे और किसी कारण से अनावश्यक वार्ड क्षेत्र अन्तर्गत लोग जमा न हो इस विषयगत

लोगों को जागरूक करना और उक्त के संबंध में जिला प्रशासन/निगम द्वारा निर्गत निर्देशों का प्रभावी रूप से आम जन मानस में प्रचार-प्रसार करेंगे।

1.3 सामुदायिक सेवाओं के उपयोग हेतु की जानी वाली व्यवस्था:-

- उपरोक्त समिति के सदस्यों द्वारा उचित मूल्य की दुकान, किराना दुकान , सब्जी की दुकान , हैण्डपम्प/पेयजल हेतु चिन्हित टंकी , सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालय आदि का उपयोग करते समय नागरिकों द्वारा सामाजिक दूरी बनाये रखने की व्यवस्था बनाने में सहयोग करना एवं इसकी निगरानी करना।
- उक्त सेवाओं के स्थल पर सैनेटाइजर अथवा साबुन व पानी की व्यवस्था हो इस हेतु संबंधित से समन्वय कर इसे सुनिश्चित कराया जाना।
- सामुदायिक सेवा स्थलों एवं लोगों के बीच दूरी बनाकर रखने के लिये एक-एक मीटर से अधिक की दूरी पर चूना या चॉक से गोल घेरे बनाने का के कार्य हेतु संबंधित के साथ समन्वय कर उक्त को सुनिश्चित कराने में सहायता करना।
- प्रत्येक व्यक्ति द्वारा घर से बाहर अपरिहार्यतः की स्थिति में किसी वस्तु/सामग्री के सम्पर्क में आने अथवा छूने की दशा में अपने हाथ को साबुन से 20 सेकेण्ड तक
- भली-भांति धोने/स्वच्छ रखने का कार्य किया जाये , इस विषयगत वार्ड क्षेत्र में समस्त को विशेषतः जागरूक करना।

1.4 आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाना:-

- इस दौरान वार्ड स्तर पर आवश्यक वस्तुएं जैसे राशन, दाल, तेल, मसालें, बीमार व्यक्तियों के लिये दवा आदि की उपलब्धत बनी रहे , इसकी लगातार निगरानी करना और उपरोक्त के विषय में निगम/जिला प्रशासन को सतत रूप से अवगत कराना।
- वार्ड क्षेत्रान्तर्गत यदि कोई परिवार अथवा व्यक्ति आर्थिक रूप से अपना जीवनयापन करने में अक्षम हो तो उपरोक्त के विषय में निगम/जिला प्रशासन के कन्ट्रोल रूम पर अवगत कराकर संबंधित की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराये जाने हेतु सहयोग करना। स्थानीय आवश्यकता व परिस्थिति तथा राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों-निर्देशों को दृष्टि में रखते हुए इसके अतिरिक्त भी कार्य समिति को दिये जा सकते है।

उपरोक्तानुसार स्वच्छ वार्ड समितियों द्वारा प्रभावी रूप से कार्य सुनिश्चित हो इस हेतु यह आवश्यक होगा कि न केवल प्रत्येक वार्ड में समिति का भली-भांति गठन सुनिश्चित हो बल्कि उपरोक्त समिति को सक्रिय किये जाने के विषयगत भी निकायों के नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा विशेष अभिरूचि लेकर तदनुसार कार्य किये जाने के लिये अपेक्षित कार्यवाही की जाये जिससे कि न केवल तात्कालिक रूप से उपरोक्त समितियां सक्रिय होकर उक्त महामारी के संक्रमण को प्रभावी रूप से रोके जाने में निकाय को भली-भांति सहयोग कर सकें बल्कि दीर्घकालिक रूप से भी नगरीय निकायों में तदनुसार वार्ड स्तर तक संस्थागत ढांचा भली-भांति सुदृढ हो एवं स्वच्छता के साथ-साथ ऐसे किसी भी संक्रमण की परिस्थिति में निकाय स्वयं के दायित्वों को भली-भांति निर्वहन करने में सक्षम रहें।

2. निकायो द्वारा अन्य राज्यों से लौटकर आये लोगों की व्यवस्था में सहयोग एवं समन्वय:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्तारक्षर की आवश्य कता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यारपित की जा सकती है ।

- वर्तमान में महामारी के दृष्टिगत बडे पैमाने पर शहरी क्षेत्रों में नागरिकों का आना जाना हुआ है और आने वाले व्यक्ति न केवल अन्य प्रदेशों के हैं बल्कि विदेशों से भी नागरिक लौटकर निकायों में आये है। उपरोक्त बाहर से आने वाले व्यक्तियों के विषयगत पूर्व से क्वादरंटाइन किये जाने/सेल्टर होम में रखे जाने की व्यवस्था बनायी गयी है। उपरोक्त व्यवस्था में निकाय द्वारा जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर यथा अपेक्षित दिये गये दायित्वों का निर्वहन भली-भांति सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
- ऐसे व्यक्ति/परिवार/घर/स्थल जहां पर उपरोक्त महामारी के संक्रमण की सूचना के दृष्टिगत विशेष रूप से विसंक्रमित किये जाने की कार्यवाही की जानी है , उपरोक्त के विषयगत जिला प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग के साथ समन्वय कर निकाय द्वारा यथा अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। अग्रेतर ऐसे प्रकरणों में वहां पर जनित वेस्ट को बायोमेडिकल वेस्ट के रूप में पृथक से निस्तारित कराये जाने के विषयगत पूर्व से ही मार्ग-दार्शिका/दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है , जिसका अनुपालन संबंधित के साथ समन्वय कर सुनिश्चित कराया जायेगा , जिससे कि उपरोक्त वेस्ट निकायों के रूटीन सॉलिड वेस्ट के कलेक्शन एवं ट्रांसपोर्टेशन में मिश्रित न हो।

3. <u>विशेष सफाई अभियान के साथ-साथ बरती जाने वाली सावधानी</u>:-

यद्यपि पूर्व में निर्गत दिशा-निर्देशों में विस्तृत रूप से आप सभी को भिज्ञ कराया गया है तथापि पुनः यह उल्लेख किया जा रहा है कि उक्त महामारी के संक्रमण को रोके जाने के प्रभावी उपायों में नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश नागरिकों द्वारा मास्क का प्रयोग किया जा रहा है। उपरोक्त मास्क के निस्तारण किये जाने में कोई संक्रमण न हो इस हेतु यह आवश्यक है कि आम जन-मानस को इस बिन्दु पर जानकारी दी जाये कि मास्क निस्तारण किये जाने में उक्त को संबंधित घरों द्वारा घरेलू नियमित कचरे के साथ मिश्रित न किया जाये बल्कि घरेलू खतरनाक कचरे के प्राविधान के अनुरूप पृथक थैले/पाउच में रखते हुए उस पर लाल निशान अंकित करके अलग से कचरा संग्रहण करने वाले को दिया जाये जिससे कि उपरोक्त यूज किये हुए मास्क निकाय के रूटीन सॉलिड वेस्ट में मिश्रित न हो और उक्त के विषयगत पृथक से जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप उक्त का समुचित निस्तारण सुनिश्चित हो।

4. <u>डूडा अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही</u>:

नगरीय निकाय क्षेत्र में जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) के माध्यम से सिटी लाइवलीहुड सेन्टर (सी0एल0सी0) का गठन किया गया है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह का भी गठन किया गया है। सी0एल0सी0 के साथ-साथ स्वयं सहायता समूह के माध्यम से निम्न कार्यवाही की जा सकती है:-

- उपरोक्त सी0एल0सी0/स्वयं सहायता समूहों द्वारा अपने नेटवर्क के माध्यम से कोविड-19 के सम्बन्ध मे समुचित प्रचार-प्रसार करने के साथ-साथ स्वयं सहायता समूहों की मदद से 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए विशेष सावधानी हेतु मदद की जा सकती है।
- समूहों द्वारा स्थानीय स्तर पर मास्क, ग्लब्स आदि बनाने की कार्यवाही उचित व आवश्यक स्टेण्डर्ड मेनटेन करते हुए की जा सकती है।
- चूंकि उपरोक्त समूहों के कार्य क्षेत्र में निकाय अन्तर्गत अल्प विकसित बस्तियां (SLUM) मुख्य रूप से आती हैं एवं अल्प विकसित बस्तियों में घनी आबादी के रूप में रहने वाले परिवारों के मध्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्य कता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यारपित की जा सकती है ।

कोविड-19 बीमारी के संक्रमण को रोके जाने की सावधानी के संबंध में प्रचार-प्रसार/जानकारी दिये जाने में उक्त समूहों द्वारा सक्रिय भूमिका निभायी जा सकती है। ऐसी बस्तियों में अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ उक्त समूहों द्वारा समन्वय कर पेयजल की व्यवस्था तथा सैनटाइजर/साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था को प्रभावी रूप से किये जाने की कार्यवाही की जा सकती है।

- ऐसे अल्प विकसित बस्तियों में बीमारी के संक्रमण के लक्षण के विषयगत ससमय सूचना दिये जाने में भी उपरोक्त समूह के सदस्यों द्वारा प्रभावी भूमिका निभायी जा सकती है। साथ ही साथ गरीब जरूरतमंद परिवारों को सहायता उपलब्ध कराये जाने में भी समूह के सदस्यों की सहायता ली जा सकती है।

5. **<u>कम्युनिटी किचेन के प्रभावी संचालन हेतु आवश्य कदिशा-निर्देश।</u>**

कोविड-19 (कोरोना वायरस) से बचाव हेतु सरकार द्वारा सभी स्तर पर सतत प्रयास किये जा रहे हैं। इसी क्रम मे प्रदेश सरकार द्वारा जगह-जगह पर आइसोलेशन सेन्टर/कोरेन्टाईन सेन्टर बनाये गये हैं, जहॉ पर कम्युनिटी किचन भी स्थापित किये गये हैं। निकाय द्वारा जहां कहीं भी स्वयं कम्युनिटी किचेन संचालित किये जा रहे है अथवा यदि निकाय क्षेत्र में किसी अन्य स्वयंसेवी संस्था/जिला प्रशासन या किसी अन्य विभाग/संस्था द्वारा कम्युनिटी किचेन संचालित किया जा रहा है तो उपरोक्त के दृष्टिगत निम्न सावधानी/गतिविधि सुनिश्चित किया जाना समीचीन होगा:

<u>वर्तमान महामारी के संक्रमण के दृष्टिगत कम्युनिटी किचन के उद्देश्यच</u>:

- ऐसे व्यक्ति, जिन्हे **आइसोलेशन** अथवा **Quarantine** में रखा गया है , उन्हे नियमित रूप से आवश्यकतानुसार भोजन उपलब्ध हो सके।
- निराश्रित व जरूरतमंद परिवारों को भोजन मिल सकें।

<u>कम्युनिटी किचन के सफल संचालन पूर्व की तैयारी</u>:

- कम्युनिटी किचन हेतु उचित स्थान की पहचान आवश्यक है। सरकारी स्कूल/सामुदायिक भवन आदि को उपयोग मे लाया जा सकता है। स्कूल सबसे उचित स्थान है , क्योकि इनमें मिड-डे-मील हेतु एक अलग से कक्ष है और यहां पर बर्तन आदि की भी उपलब्धता है।
- कम्युनिटी किचन के संचालन हेतु टीम का निर्धारण करें , यथा-मिड-डे-मील का रसोईयां (कुक) , आगंनबाड़ी सहायिका , स्वयं सेवक जो कि ना केवल खाना बनाने बल्कि उसके वितरण में भी सहयोग करे।
- संबंधित संस्था के चयनित सदस्यों/शासकीय अथवा निगम के कर्मियों की एक समिति गठित की जाये, जिसका मुख्य कार्य होगा किचन की निगरानी (अनुश्रवण) करते हुए आवश्यक मार्गदर्शन व विभिन्न हितधारकों में समन्वय सुनिश्चित करना।
- समुदाय आधारित कुछ वालन्टियर (स्वयं सेवक) जो कि प्रतिदिन की सामग्री की खरीद हेतु सहयोग दे सकें।
- जहां तक सम्भव हो किचन में बनने वाले भोजन हेतु स्थानीय खाद्य पदार्थो का उपयोग करें, जो कि सभी आयु वर्ग की दैनिक आवश्यकता को पूर्ण कर सकें। उदाहरण के तौर पर दाल , अनाज व सब्जियों से बना भोजन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ता क्षर की आवश्य कता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यारपित की जा सकती है ।

सामुदायिक किचन का फ्लो चार्ट

भोजन तथा खाद्य सामग्री प्रबन्धन हेतु समिति द्वारा पर्यवेक्षण:

इस बात का ध्यान रखा जाये कि भोजन पकाने के लिये पानी का स्त्रोत सुरक्षित हो तथा पानी पाइप लाइन सप्लाई/फिल्टर अथवा इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प से लिया गया हो। भोजन भण्डारण के तरीके स्वच्छ हों तथा भोजन पकाने वाले कर्मियों की व्यक्तिगत स्वच्छता भी सही हो। साथ ही साथ किचन की साफ-सफाई, बर्तन धोने का स्थल तथा कूड़े के निस्तारण की भी समुचित व्यवस्था हो।

व्यक्तिगत स्वच्छता:

व्यक्तिगत स्वच्छता एक आवश्यक व्यवहार है तथा इसके अनुपालन हेतु कुछ आवश्यक नियमों को ध्यान में रखना जरूरी है जैसे-

- जो कोई कर्मी भोजन बनाने, भण्डारण वितरण की प्रक्रिया से जुड़े हैं, उन्हें अपने हाथों को साबुन व पानी से कम से कम 20 (बीस) सेकेण्ड धोना है।
- इन अवसरों पर आवश्यक रूप से हाथ धोना जरूरी है:-
    - खाद्य सामाग्री बाहर से लाने के पश्चात
    - खाद्य सामाग्री को छूने के पश्चात विशेषत: सब्जी आदि
    - खाना बनाने के पहले व खाने के दौरान
    - भोजन परोसने/वितरण करने से पहले
    - भोजन पैक करने अथवा बची सामाग्री को स्टोर में रखने के बाद

- सुनिश्चित करें कि भोजन पकाने का स्थान, भण्डारण का स्थान तथा बर्तन साफ हों।
- किचन तथा खाना खाने के स्थान की सफाई प्रतिदिन हर बार भोजन बनाने के पहले की जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्तासक्षर की आवश्य कता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यारपित की जा सकती है ।

- एक नियत स्थान का निर्धारण कर लें जहां ठोस अवशेष (Solid Waste) जैसे कि बची हुई/ बेकार सब्जियों का निस्तारण पशुओं को खाने के लिये अथवा अपशिष्ट प्रबन्धन केन्द्र (Solid Waste) पर किया जा सके। इसी प्रकार अवशेष पानी को भी सोक पिट में बहाया जा सके।
- यह भी सुनिश्चित करें कि साबुन से हाथ धोने तथा कीटाणुशोधन हेतु पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो।
- भोजन तैयार करते समय अपने सिर को ढक कर रखें।
- कोविड-19 से बचाव हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले शौचालय की नियमित सफाई हो। शौचालय को सोडियम हाइपोक्लोराइट 1 प्रतिशत साबुन पाउडर/डिटर्जेंट से लम्बे हैण्डल वाले ब्रश से साफ करना चाहिए।
- कम्युनिटी किचन के पास कोविड-19 (कोरोना वायरस) रोगियों (संदिग्ध/संभावित/पुष्टि किए गए रोगियों) को सख्ती से प्रतिबंधित किया जाना चाहि ए। यदि ऐसा कोई व्यक्ति कम्युनिटी किचन से भोजन प्रदान करता है तो इससे बीमारी फैलने का खतरा बढ़ सकता है।

<u>किचन की स्वच्छता</u>:

समिति यह सुनिश्चित करे कि :

- कोई भी कार्य आरम्भ करने से पूर्व किचन की सतह, प्लेटफार्म तथा बर्तन आदि पूर्णतया साफ हो।
- सभी खाद्य पदार्थो का सही तरीक से भण्डारण हो, जिससे कि वह खराब न हो सकें।
- एक बार बनाने के पश्चात भोजन को ढक कर रखें।
- बर्तन साफ हो तथा बर्तनों की साफ-सफाई हेतु आवश्यक सामाग्री जैसे कि साबुन , जूना आदि उपलब्ध हो तथा कपड़े, झाड़ू, ब्रश आदि की व्यवस्था भी किचन में हो।
- बची हुई बेकार सामाग्री के निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करें जिससे सड़न तथा बदबू न फैल सके। इस हेतु वर्मी कम्पोस्ट का प्रयोग किया जा सकता है।
- प्रयोज्य पानी को बहाने हेतु सोक पिट की व्यवस्था होनी चाहिए।

<u>रजिस्टर में जानकारी भरें</u>:

जो भी लाभार्थी सामुदायिक किचन से भोजन ग्रहण कर रहे है , उनसे संबंधित सूचनाए अपने पास उपलब्ध रजिस्टर में दर्ज करें-

1. लाभार्थी का नाम
2. आयु/उम्रः
3. लिंगः
4. गांव/शहर में आने की तिथिः
5. लौटने का स्थान (जनपद/प्रदेश)

उपरोक्त आदेश का यथाशीघ्र अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताहक्षर की आवश्य कता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यारपित की जा सकती है ।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्य कता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यारपित की जा सकती है ।